



(7)

श्रीः

प्रकरण क्रमांक— / 15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म.प्र. के समक्ष

नि। 13810 - PBR-15

1. खुदेजा पति स्व. हकीमुद्दीन आजाद
आयु - 758 वर्ष, धंधा - गृहकार्य
2. तारीक पिता स्व. हकीमुद्दीन आजाद
आयु - 52 वर्ष, धंधा - नौकरी
दानो निवासी - टाइनी, टॉटस स्कूल,
हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सिविल लाईन्स खण्डवा, म.प्र.पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. शब्बीर हुसैन पिता स्व. जामीनअली
आयु - 54 वर्ष,
निवासी - अशोक टॉकीज के पास, पड़ावा वार्ड, खण्डवा, म.प्र.
2. रुख्साना बानो पति अकबर जलील (पुत्री स्व. जमीनअली)
आयु - 60 वर्ष,
पता - कोतवाली के पास, बुरहानपुर, म.प्र.
3. रेहाना बानो पति फखरुद्दीन (पुत्री स्व. जमीनअली)
आयु - 58 वर्ष,
पता - राजेन्द्र नगर, इंदौर, म.प्र.
4. रजिया बानो पति अमीरुद्दीन (पुत्री स्व. जमीनअली)
आयु - 56 वर्ष,
पता - अशोक टॉकीज के पास, पड़ावा वार्ड, खण्डवा, म.प्र.
5. जैनब बानो पति स्व. जामीनअली
आयु - 83 वर्ष,
पता - अशोक टॉकीज के पास, पड़ावा वार्ड, खण्डवा, म.प्र.प्रत्यार्थीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

पुनरीक्षणकर्ता तर्फ सादर निवेदन है कि :-

यह कि, यह पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला-खण्डवा श्रीमान् एस.एस. बघेल द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक-09 3-6/वर्ष 2013-14 शब्बीर हुसैन व अन्य विरुद्ध खुदेजा य अन्य, मे दिनांक 21/10/2015 को पारित आदेश से आहत होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण सादर प्रस्तुत करते हैं :-

अविरत पेज...2...पर

912

२९८८ वार्ष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के
15.12.2015	<p>आवेदकगत की ओर से श्री दुर्गा माठे आवेदनालय उपस्थित अके डाट पुकार सम्म वायाकरण में प्रस्तुत करे हेतु वापिस लिये जाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध विवार किया जाता है। पुकार वापिस ले लिये जाने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>(S.D.)</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	<p>पक्षकारों एवं आदि के</p> <p>श्री दुर्गा माठे आवेदनालय अके डाट पुकार सम्म वायाकरण में प्रस्तुत करे हेतु वापिस लिये जाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध विवार किया जाता है। पुकार वापिस ले लिये जाने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>ओरजिनल आदेश</p>